मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२०

श्रम विधि (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२०

विषय-सूची.

खण्ड :

भाग-एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

भाग-दो
कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.

३. धारा ५क का अंत:स्थापन.

भाग-तीन
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४७ का १४ का संशोधन.

५. धारा ३६ग का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२०

श्रम विधि (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ और औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्रम विधि (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

(२) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग-दो

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४८ का ६३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इसमें इसके पश्चात्, इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ५क का अंत:स्थापन.

३. मूल अधिनियम में, धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

लोकहित में नए कारखानों को छूट देने की शक्ति.

"५क. जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि अधिक आर्थिक गतिविधियों व रोजगार के अवसरों के सृजन के लिये लोकहित में यह आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी नए कारखाने या नए कारखानों के वर्ग या प्रकार, जो कि स्थापित हुए हैं एवं जिनका वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ है, को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी वह उचित समझे, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसे वाणिज्यिक के उत्पादन आरंभ होने की तारीख से एक हजार दिवस की कालावधि के लिए छूट दे सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "नए कारखाने या नए कारखानों के वर्ग या प्रकार" से अभिप्रेत है, ऐसे कारखाने या कारखानों के वर्ग या प्रकार जो स्थापित हुए हों एवं जिनमें श्रम विधि (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारंभ होने के पश्चात् एक हजार दिवस की कालावधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया गया हो.".

भाग-तीन

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४७ का १४ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) (जो इसमें इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३६ग का अंत:स्थापन.

५. मूल अधिनियम में धारा ३६ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

लोक हित में नए उद्योगों को छूट देने की शक्ति.

''३६ग. जहां राज्य सरकार का किसी नई औद्योगिक स्थापना या नए उपक्रम या नई औद्योगिक स्थापनाओं या नए उपक्रमों के वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से किसी ऐसी नई स्थापना या नए उपक्रम या नई स्थापनाओं या नए उपक्रमों के वर्ग को सशर्त या शर्त के बिना, यथास्थिति, ऐसी नई औद्योगिक स्थापना या नए उपक्रम या नई स्थापना या नए उपक्रमों के वर्ग को, उनकी स्थापना की तारीख से एक हजार दिवस के लिए छूट दे सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''नई औद्योगिक स्थापना या नए उपक्रम या नई औद्योगिक स्थापनों या नए उपक्रमों के वर्ग'' से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक स्थापना या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग जो श्रम विधि (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२० के प्रारंभ होने के पश्चात् एक हजार दिवस की कालावधि के भीतर स्थापित हुए हों.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कतिपय श्रम विधियों में संशोधन हेतु यह विधेयक प्रस्तावित है क्योंकि कोविड १९ के कारण राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन से मध्यप्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं. महामारी के कारण उद्योग और व्यापार बड़े आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं और लाखों श्रमिक बेरोजगार घूम रहे हैं. अतएव, सरकार ने कारखाना अधिनियम, १९४८ के विभिन्न उपबंधों से कारखानों को छूट देने का विनिश्चय किया है, जिससे उक्त लॉकडाउन के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का तथा उसके कारण श्रमिकों की बेरोजगारी का सामना करने के लिये उन्हें सशक्त किया जा सके. अतएव, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप से उक्त अधिनियम में धारा ५क अंत:स्थापित की गयी है.

२. श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने यह भी परामर्श दिया है कि राज्य सरकार महामारी की ऐसी स्थितियों में, इस अधिनियम के प्रारंभ से १००० दिवस की विशिष्ट कालावधि के लिए, शर्तों के साथ अथवा शर्तों के बिना, अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध से नई औद्योगिक स्थापनाओं और उपक्रमों को या ऐसी औद्योगिक स्थापनाओं और उपक्रमों की श्रेणी को छूट देने के लिए, विशेषत: राज्य सरकार को सशक्त करने के लिये, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) में उपबंध अंत:स्थापित करेगी. अतएव, उपरोक्त उपबंध लाए जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में उक्त अधिनियम में धारा ३६ग अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ७ सितम्बर, २०२०.

ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के भाग दो में खण्ड-३ द्वारा आर्थिक गतिविधियों व रोजगार के अवसरों के सृजन के लिये कारखाने या नए कारखानों के वर्ग या प्रकार की स्थापना आदि के संबंध में कारखाना अधिनियम, १९४८ द्वारा निर्धारित प्रावधानों से सशर्त छूट दिये जाने, तथा भाग तीन में खण्ड-५ द्वारा लोकहित में नये उद्योगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के प्रावधानों के अधीन सशर्त/शर्त के बिना स्थापना से वर्णित कालावधि की छूट दिये जाने संबंधी शर्तें अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियाँ राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं. जो सामान्य स्वरूप की होंगी.

उपाबंध

कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) से उद्धरण

१. **कारखाना अधिनियम, १९४८.**

धारा ५

लोक आपात के दौरान छूट देने की शक्ति-

लोक आपात की किसी दिशा में, राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को ऐसी कालावधि और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी वह ठीक समझे इस अधिनियम के उपबन्धों में से '[धारा ६७ के सिवाय,] सब या किसी से छूट दे सकेगी.

परन्तु ऐसी कोई भी अधिसूचना एक समय पर तीन मास से अधिक की कालावधि के लिये नहीं की जाएगी.

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये "लोक आपात" से ऐसा गम्भीर आपात अभिप्रेत है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यांतरिक अशांति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में हैं.

*   *   *   *   *

२. **औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७**

धारा ३६-ख, छूट देने की शक्ति-

जहाँ, समुचित सरकार का किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या उस सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाये गये, औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग में नियोजित कर्मकारों की बाबत् औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटारे के लिये पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान हैं, वहाँ वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्ध से ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को शर्त सहित या शर्त के बिना छूट से सकेगी.

*   *   *   *   *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.